भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 533
दिनांक 09 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष के अंतर्गत वित्त का आवंटन

533. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाने के लिए योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निर्भया कोष नामक एक समर्पित कोष की स्थापना की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इसकी स्थापना के वर्ष से लेकर अब तक आवंटित और उपयोग की गई धनराशि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मात्रा कितनी है;
(घ) क्या उक्त निधि का एक बड़ा हिस्सा राज्यों के पास बिना उपयोग किया या कम उपयोग किया पड़ा है और यदि हां, तो इसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारण हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : जी, हां। भारत सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने वाली पहलों के कार्यान्वयन के लिए निर्भया निधि नामक एक समर्पित निधि स्थापित की थी। निर्भया रूपरेखा के तहत अधिकारियों की गठित अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मिलकर निर्भया निधि के तहत वित्त पोषण के लिए प्रस्तावों का आकलन करती है और सिफारिश करती है। ईसी द्वारा आकलन के बाद संबंधित मंत्रालय/विभाग अपने-अपने बजट से निधियां जारी करने के लिए अपने-अपने सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से या सीधे अनुमोदित परियोजनाओं/योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं। वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक निर्भया निधि के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार आबंटित/निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियों की मात्रा संलग्न है।
(घ) और (ड.) : निर्भया निधि के तहत योजनाएं/परियोजनाएं मांग पर आधारित हैं। निर्भया निधि के लिए रूपरेखा के तहत अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आकलित परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन अनुसूची से पीछे चल रहा है। कुछ आकलित परियोजनाएं सीधे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं जबकि अधिकांश परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं जिनमें केंद्र सरकार संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं के निर्धारित निधि साझाकरण पैटर्न के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन जारी करती है। इसके बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित समय-सीमा पर जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अलावा, ऐसी

योजनाएं हैं, जिनमें सेवाएं प्रदान करने के लिए आवर्ती व्यय की आवश्यकता होती है जिसके संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी/प्राधिकरण से उपयोग प्रमाण पत्र और व्यय विवरण की प्राप्ति पर और निधियां जारी की जाती हैं। उपयोग प्रमाण पत्र उस वित्त वर्ष की समाप्ति से 12 माह के अंदर प्रस्तुत किए जाने होते हैं, जिसमें अनुदान जारी किया गया था। अत: संभव है कि वास्तव में अधिक निधियों का उपयोग किया गया हो परंतु सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार यथापेक्षित उपयोग प्रमाण पत्र और व्यय विवरण संबंधित राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत न किए गए हों। मंत्रालय उपयोग प्रमाण पत्र और व्यय विवरण प्रस्तुत करने के लिए राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्तन करता है। विभिन्न कारकों जैसे कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में लिया गया समय, ठेका देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों से उत्पन्न अप्रत्याशित कारणों के कारण व्यवधान ने भी योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। निर्भया निधि के तहत अब तक लगभग 70 प्रतिशत जारी की गई निधियों के उपयोग की सूचना प्रदान की गई है।

अधिकार प्राप्त समिति संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मिलकर समय-समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और अनुमोदित परियोजनाओं पर व्यय की समीक्षा भी करती है। इसके अलावा, संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यान्वयन एजेंसियां भी अपने स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती हैं।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

'निर्भया कोष के अंतर्गत वित्त का आवंटन' विषय पर श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा दिनांक 09 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले **लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 533 के उत्तर के भाग(क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक**

वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक निर्भया निधि के तहत आबंटित/निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण

(रुपये करोड़ में)

क.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित/निर्मुक्त निधियां						कुल उपयोग
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3.30	1.93	0.88	0.82	5.86	0.91	9.75
2	आंध्र प्रदेश	19.88	66.36	8.98	13.35	2.63	12.98	41.97
3	अरुणाचल प्रदेश	6.00	2.78	8.63	6.56	11.04	9.96	16.05
4	असम	17.30	4.19	8.03	18.36	16.82	11.70	36.26
5	बिहार	21.51	2.85	3.63	24.15	26.90	33.26	43.58
6	चंडीगढ़	4.25	2.50	0.68	1.00	3.77	0.77	9.07
7	छत्तीसगढ़	22.00	12.06	7.47	22.06	7.58	12.29	53.11
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.20	8.97	0.01	4.22	3.67	0.45	12.52
9	दिल्ली	32.80	9.24	74.23	291.32	8.85	6.44	413.07
10	गोवा	6.01	1.74	0.05	5.42	3.47	0.47	12.74
11	गुजरात	16.16	6.54	58.07	68.95	54.26	13.40	177.12
12	हरियाणा	16.13	2.91	4.80	13.36	7.75	9.65	35.97
13	हिमाचल प्रदेश	5.92	1.80	4.60	16.70	3.68	1.92	19.38
14	जम्मू और कश्मीर	9.67	2.38	3.58	14.98	2.79	6.53	22.39
15	झारखंड	5.07	11.38	7.07	15.12	19.44	7.41	34.87
16	कर्नाटक	20.29	5.65	206.84	24.24	21.06	21.66	229.81
17	केरल	16.07	4.68	3.51	15.42	12.28	5.69	34.25
18	लद्दाख-यूटी	0.00	0.19	0.00	0.00	4.05	0.30	1.27
19	लक्षद्वीप	0.10	4.57	0.00	0.21	0.37	0.15	4.96
20	मध्य प्रदेश	29.53	19.70	15.57	45.72	33.05	47.02	94.40
21	महाराष्ट्र	19.79	21.81	118.21	132.39	13.25	8.61	254.65
22	मणिपुर	4.81	1.63	5.92	9.30	11.37	5.41	22.15
23	मेघालय	5.41	1.70	2.19	8.03	8.50	3.47	12.36
24	मिजोरम	4.86	3.44	5.68	6.84	4.06	11.47	18.85
25	नागालैंड	5.82	5.75	5.23	10.68	4.66	8.69	27.33
26	ओडिशा	20.24	4.12	8.74	24.87	15.77	25.46	49.26
27	पुदुचेरी	3.33	1.82	0.99	4.98	3.32	0.90	9.62
28	पंजाब	14.35	5.91	9.52	16.88	9.27	5.05	37.48
29	राजस्थान	29.22	7.22	8.18	25.93	21.74	36.89	82.83
30	सिक्किम	0.23	6.21	0.73	1.84	6.33	1.38	7.27
31	तमिलनाडु	15.31	3.38	183.68	97.52	14.05	15.65	304.47
32	तेलंगाना	17.02	7.36	89.03	65.08	8.99	50.68	200.95

33	त्रिपुरा	5.53	1.64	3.19	5.73	2.63	6.98	11.96
34	उत्तर प्रदेश	32.65	47.97	93.96	105.51	163.24	49.07	305.33
35	उत्तराखंड	8.45	3.84	3.30	9.60	8.40	4.82	21.97
36	पश्चिम बंगाल	21.43	4.32	49.96	17.82	6.18	5.01	95.32

*****